डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

1. लल्लू पुत्र लक्खी
2. धमण्डी पुत्र कल्लू
जाति मीना निवासी 9 बिस्वा टोडाभीम तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(वादीगण)

बनाम

1. मानसिह पुत्र नानग्या
2. रामसिंह पुत्र हजारी
3. अचल सिंह पुत्र नानग्या
जाति मीना निवासी 9 बिस्वा टोडाभीम तहसील टोडाभीम जिला करौली।
4. तहसीलदार टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0 136/16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट मिनकानिब गुदई रूबरू, ... हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। कि

अतः ग्राम टोडाभीम 9 बिस्वा की आराजी ख0न0 6213 रकवा 0.03 है0 की किस्म गै0मु0रास्ता के स्थान पर किस्म चाही प्रथम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम टोडाभीम 9 बिस्वा की आराजी ख0न0 6211/0.47, 6212/0.05, 6213/0.03, 6214/0.16, 6215/0.13, 6238/0.01 कुल किता 6 कुल रकवा 0.85 है0 मे वादीगण के कब्जेकाश्त मे किसी प्रकार से मजाहमत मदाखलत नही करे।

कार्यालय उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली) राज0

निज.....................मुबलिंग............................बाबत..........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.............. .अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 05.03.2020 को जारी की गई।

दस्तखत.......................... उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली) 5/3/2020
ओहदा..........................

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

दिनांकः– 29.11.2016

मु0न0 136/16

पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

1. लल्लू पुत्र लक्खी
2. धमण्डी पुत्र कल्लू
   जाति मीना निवासी 9 बिस्वा टोडाभीम तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(वादीगण)

बनाम

1. मानसिह पुत्र नानग्या
2. रामसिंह पुत्र हजारी
3. अचल सिंह पुत्र नानग्या
   जाति मीना निवासी 9 बिस्वा टोडाभीम तहसील टोडाभीम जिला करौली।
4. तहसीलदार टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट (वादीगण)

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

निर्णय दिनांक 05.03.2020

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम टोडाभीम 9 विश्वा की आराजी ख0न0 6211/0.47 चाही प्रथम, 6212/0.05 चाही प्रथम, 6213/0.03 गै0मु0रास्ता, 6214/0.16 चाही प्रथम, 6215/0.13 चाही प्रथम, 6238/0.01 गै0मु0 कुऑ कुल किता 6 कुल रकवा 0.85 है0 की खातेदारी वादीगण के नाम है। उक्त वर्णित आराजीयात मे सेटलमेन्ट कर्मचारियो द्वारा निम्नानुसार कायम किये है।

ख0न0	रकवा	किस्म	साबिक ख0न0	रकवा	किस्म
6211	0.47	चाही प्रथम	2987	2 बीधा	चाही अब्बल
6212	0.05	चाही प्रथम	2987	2 बीधा	चाही अब्बल
6213	0.03	गै0मु0रास्ता	2993	1 बीधा 5 बिस्वा	चाही अब्बल
6214	0.16	चाही प्रथम	2993	1 बीधा 5 बिस्वा	चाही अब्बल
6215	0.13	चाही प्रथम	2993	1 बीधा 5 बिस्वा	चाही अब्बल
6238	0.01	गै0मु0 कुआ	2992	1 बिस्वा	गै0मु0चाह

उक्त सूची अनुसार मौजूदा ख0न0 6213 गै0मु0रास्ता साबिक ख0न0 2993 रकवा 1 बीधा 5 बिस्वा चाही अब्बल से बनाकर अंकित किया है। जब उक्त ख0न0 मे पहले कोई भी रास्ता नही था और नाही आज रास्ता है। सेटलमेन्ट कर्मचारियो द्वारा बिना किसी न्यायालय के आदेश से ख0न0 6213 को साबिक ख0न0 2993 से बनाकर उसकी किस्म चाही प्रथम के स्थान पर गै0मु0रास्ता दर्ज कर दिया जो गलत है। बॉका दिनांक 20.11.16 को अपनी आराजी ख0न0 6213 मे विकासार्थ कार्य करवा रहे थे कि प्रतिवादीगण एक राय होकर आये और कहने लगे कि तुम यहॉ कार्य नही करवा सकते हो यह रास्ते की आराजी है इस पर वादीगण द्वारा कहा कि यहा कभी भी रास्ता नही रहा है और नाही आज है। और नाही किसी न्यायालय द्वारा रास्ता घोषित किया है। इसमे हमेशा से फसल होती रही है। इस पर प्रतिवादीगण द्वारा आपस म साज करके वादीगण को अपनी खातेदारी कब्जे की आराजी से

उपजिला कलक्टर

Scanned by CamScanner

महरूम रखने के लिये परेशान किया जा रहा है। जिसका कोई अधिकार उन्हे नही है। इसलिये दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर इस आशय की घोषणा फरमाई जावे कि आराजी ख0न0 6213 रकवा 0.03 ग्राम 9 बिस्वा टोडाभीम की किस्म गै0मु0 रास्ता से चाही प्रथम की जावे।

दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम टोडाभीम 9 बिस्वा की आराजीयात ख0न0 6211, 6212, 6213, 6214, 6215, 6238 मे कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करे, वादीगण को बेदखल नही करे,

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। चुकि दावा किस्म इन्द्राज दुरूस्ती का होने से तहसीलदार टोडाभीम से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम टोडाभीम 9 बिस्वा की आराजी ख0न0 6213 किस्म गै0मु0 रास्ता है जिसमे सरसो की फसल खडी हुई है। जो लल्लू पुत्र लक्खी मीना के कब्जे काश्त की आराजी है। उक्त आराजी ख0न0 6213 की वर्तमान खातेदारी मे गुलकन्दी पत्नि धमण्डी, रमेश,सुरेश पि0 घमण्डी, रेशम, रूमाली, सजनबाई, पुत्रीया घमण्डी हि0 1/2, लल्लू पुत्र लक्खी हि0 1/2 सा. देह दर्ज रिकार्ड है। मौके पर वर्तमान मे रास्ता ख0न0 6212 मे होकर जा रहा है। ख0न0 6213 मे मौके पर सरसो की फसल खडी हुई है।

वादी वकील की बहस सुनी गई। वादी वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया कि हाल ख0न0 6213 रकवा 0.03है0 साबिक ख0न0 2993 चाही अब्बल से बनाया गया है। किन्तु नवीन राजस्व रिकार्ड मे किस्म गै0मु0 रास्ता गलत दर्ज कर दिया है। तहसीलदार टोडाभीम से मौका की जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अनुसार भी रास्ता ख0न0 6212 मे होकर चालू है ख0न0 6213 मे मौके पर सरसो की फसल काश्त हो रही है। इसलिये हाल ख0न0 6213 रकवा 0.03 है0 किस्म गै0मु0रास्ता के स्थान पर किस्म चाही प्रथम दर्ज करने के आदेश फरमावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी ख0न0 6211/0.47, 6212/0.05, 6213/0.03, 6214/0.16, 6215/0.13, 6238/0.01 कुल किता 6 कुल रकवा 0.85 है0 के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार मजाहमत मदाखलत नही करें।

वादी वकील की बहस पर मनन किया व पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। ग्राम टोडाभीम 9 बिस्वा की जमाबन्दी सम्वत 2068–71 आराजी ख0न0 6211/0.47, 6212/0.05, 6213/0.03, 6214/0.16, 6215/0.13, 6238/0.01 कुल किता 6 कुल रकवा 0.85 है0 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 के अनुसार साबिक ख0न0 2997 मिन. रकवा 2 बीधा 1 बिस्वा, 2993 मिन. एवं 2992 रकवा 1 बिस्वा से बने है। जमाबन्दी सम्वत 2037–40 के खाता संख्या 221 मे वर्णित आराजीयात साबिक ख0न0 2987 रकवा 2 बीधा 1 बिस्वा, 2993 रकवा 1 बीधा 5 बिस्वा किस्म चाही अब्बल एवं 2992 रकवा 1 बिश्वा किस्म गै0मु0 चाह की खातेदारी लल्लू पुत्र लिख्खी हि0 1/2, धमण्डी पुत्र कल्लू हि0 1/2 जाति मीना के नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजीयात से कोई संबध नही है। आराजी ख0न0 6212 साबिक ख0न0 2987 मिन. किस्म चाही अब्बल एवं 6213 साबिक ख0न0 2993 मिन. किस्म चाही अब्बल से बने है। इस प्रकार उक्त आराजीयात साबिक रिकार्ड के अनुसार किस्म गै0मु0 रास्ता नही है। तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त हुई फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 14.02.2020 के अनुसार ख0न0 6213 रकवा 0.03 है0 जो वादीगण की खातेदारी मे है इस

उपजिला कलक्टर

Scanned by CamScanner

आराजी मे मौके पर सरसो की फसल काश्त है। इस आराजी मे रास्ता नही है। मौके पर जो रास्ता चालू है। वह ख0न0 6212 मे होकर जा रहा है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आराजी ख0न0 6213 रकवा 0.03 है0 की किस्म गै0मु0रास्ता के स्थान पर किस्म चाही प्रथम दर्ज किया जाना तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित पाता हूँ।

अतः ग्राम टोडाभीम 9 बिस्वा की आराजी ख0न0 6213 रकवा 0.03 है0 की किस्म गै0मु0रास्ता के स्थान पर किस्म चाही प्रथम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम टोडाभीम 9 बिस्वा की आराजी ख0न0 6211/0.47, 6212/0.05, 6213/0.03, 6214/0.16, 6215/0.13, 6238/0.01 कुल किता 6 कुल रकवा 0.85 है0 मे वादीगण के कब्जेकाश्त मे किसी प्रकार से मजाहमत मदाखलत नही करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज0

05/3/2020

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.07.30 11:28:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: